मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

पंजाब नैशनल बैंक में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति (engagement) के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1	कुल सीटें: **2700**
2	आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: **30.06.2024** से **14.07.2024** तक
3	ऑनलाइन परीक्षा: **28.07.2024**
4	आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी हमारे कार्यालय को न भेजें।
5	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Recruitments.aspx (प्रशिक्षुओं के लिए आवेदन हेतु आवेदन लिंक भारत की बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र कौशल परिषद (बीएफएसआई एसएससी) की वेबसाइट पर खुलेगी) या http://bfsissc.com पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

क. प्रशिक्षण सीटें : प्रशिक्षुओं की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, मंडलवार सीटों का विवरण नीचे दिया गया है। प्रशासनिक/परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंक को प्रशिक्षण के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कोई भी मंडल आवंटित करने का अधिकार होगा।

प्रशिक्षुओं के लिए मंडलवार और श्रेणीवार सीटें:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मंडल	कुल सीटें*	अनु. जा.	अनु.ज. जा.	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	पीडब्ल्यूबीडी			
								दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	आर्थोपेडिक दिव्यांग	बौद्धिक दिव्यांग
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	कोलकाता - पश्चिम	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	14	2	1	3	1	7	1	0	0	0
	विजाग	13	2	0	4	1	6	0	0	0	0
	उप जोड़	**27**	**4**	**1**	**7**	**2**	**13**	**1**	**0**	**0**	**0**
अरुणाचल प्रदेश	डिब्रूगढ़	4	0	1	0	0	3	0	0	0	0
	उप जोड़	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
असम	डिब्रूगढ़	5	0	1	1	1	2	0	0	0	0
	गुवाहाटी	9	1	1	3	0	4	0	1	0	0
	जोरहाट	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0
	नगांव	5	0	1	1	1	2	0	0	0	0
	सिलचर	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0
	उप जोड़	**27**	**1**	**3**	**7**	**2**	**14**	**0**	**1**	**0**	**0**
बिहार	आरा	7	1	0	2	0	4	0	0	0	0

	औरंगाबाद (बिहार)	7	1	0	2	1	3	0	0	0	0
	भागलपुर	5	1	0	1	1	2	0	0	0	0
	बिहारशरीफ	6	1	0	2	0	3	0	0	0	0
	चंपारण (मोतिहारी)	13	2	0	4	1	6	0	0	0	1
	दरभंगा	6	1	0	2	1	2	0	0	0	0
	गया	6	1	0	2	0	3	0	0	0	0
	मुजफ्फरपुर	6	1	0	2	1	2	0	0	0	0
	पटना	13	1	0	1	1	10	0	0	1	0
	पूर्णिया	10	2	0	3	1	4	1	0	0	0
	उप जोड़	**79**	**12**	**0**	**21**	**7**	**39**	**1**	**0**	**1**	**1**
चंडीगढ़	चंडीगढ़	19	3	0	5	1	10	0	0	0	0
	उप जोड़	**19**	**3**	**0**	**5**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	26	3	8	1	3	11	1	0	0	0
	रायपुर	25	3	8	2	2	10	0	1	0	0
	उप जोड़	**51**	**6**	**16**	**3**	**5**	**21**	**1**	**1**	**0**	**0**
दादरा और नगर हवेली	सूरत	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
दमन और दीव	राजकोट	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	सूरत	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
दिल्ली	पूर्वी दिल्ली	60	9	4	16	6	25	1	0	1	1
	उत्तरी दिल्ली	28	4	2	8	2	12	1	0	0	0
	दक्षिण दिल्ली	70	10	5	19	7	29	0	0	1	1
	पश्चिमी दिल्ली	20	3	2	5	2	8	0	1	0	0
	उप जोड़	**178**	**26**	**13**	**48**	**17**	**74**	**2**	**1**	**2**	**2**
गोवा	कोल्हापुर	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	उप जोड़	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
गुजरात	अहमदाबाद	53	4	7	14	5	23	0	0	1	0
	राजकोट	32	2	5	9	3	13	0	0	0	1
	सूरत	12	1	2	3	1	5	0	1	0	0
	वडोदरा	20	1	3	5	2	9	1	0	0	0
	उप जोड़	**117**	**8**	**17**	**31**	**11**	**50**	**1**	**1**	**1**	**1**
हरियाणा	गुरुग्राम	77	14	0	21	8	34	0	1	0	0
	हिसार	19	3	0	5	2	9	1	0	0	0
	जींद	16	3	0	4	2	7	0	1	0	0
	करनाल	23	4	0	6	2	11	1	0	0	0
	कुरुक्षेत्र	14	2	0	4	1	7	0	0	0	1
	पानीपत	30	6	0	8	3	13	0	0	1	0
	रेवाड़ी	14	3	0	4	1	6	0	0	1	0
	रोहतक	19	4	0	5	2	8	0	0	0	1

	सिरसा	14	3	0	4	1	6	0	1	0	0
	उप जोड़	**226**	**42**	**0**	**61**	**22**	**101**	**2**	**3**	**2**	**2**
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	20	5	0	4	2	9	0	0	1	0
	हमीरपुर	17	4	0	3	2	8	0	0	0	1
	मंडी	17	4	1	3	1	8	0	0	0	0
	शिमला	14	4	1	3	1	5	0	1	0	0
	सोलन	15	3	1	3	2	6	0	0	0	0
उप जोड़		**83**	**20**	**3**	**16**	**8**	**36**	**0**	**1**	**1**	**1**
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	19	1	2	5	1	10	0	0	0	1
	श्रीनगर	7	1	0	2	1	3	0	0	0	0
	उप जोड़	**26**	**2**	**2**	**7**	**2**	**13**	**0**	**0**	**0**	**1**
झारखंड	बोकारो	8	1	2	1	0	4	0	0	0	0
	रांची	11	1	2	1	1	6	0	0	0	0
	उप जोड़	**19**	**2**	**4**	**2**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
कर्नाटक	बैंगलोर	22	3	2	6	2	9	0	1	0	0
	हुबली	10	2	0	2	1	5	0	0	0	0
	उप जोड़	**32**	**5**	**2**	**8**	**3**	**14**	**0**	**1**	**0**	**0**
केरल	एर्नाकुलम	7	0	0	1	1	5	0	0	0	0
	कोझिकोड	5	1	0	1	0	3	0	0	0	0
	तिरुवनंतपुरम	10	1	0	3	1	5	0	0	0	0
	उप जोड़	**22**	**2**	**0**	**5**	**2**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
लद्दाख	श्रीनगर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश	भोपाल	27	4	5	4	3	11	0	0	1	1
	ग्वालियर	36	5	7	5	3	16	0	1	0	0
	इंदौर	26	3	5	3	3	12	1	0	0	0
	जबलपुर	32	5	6	5	3	13	0	0	0	1
	उज्जैन	12	2	3	2	1	4	0	0	0	0
	उप जोड़	**133**	**19**	**26**	**19**	**13**	**56**	**1**	**1**	**1**	**2**
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	7	1	1	2	1	2	0	0	0	0
	मुंबई शहर	43	4	4	11	4	20	1	0	0	0
	मुंबई पश्चिम	34	3	3	9	3	16	0	1	0	0
	नागपुर	8	1	1	2	1	3	0	0	0	0
	नासिक	14	1	1	4	1	7	1	0	0	0
	पुणे	17	2	1	5	2	7	0	0	0	1
	ठाणे	22	2	2	6	2	10	0	0	1	0
	उप जोड़	**145**	**14**	**13**	**39**	**14**	**65**	**2**	**1**	**1**	**1**
मणिपुर	इंफाल	6	0	2	0	0	4	0	0	0	0
	उप जोड़	**6**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
मेघालय	गुवाहाटी	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
मिजोरम	इंफाल	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
नगालैंड	इंफाल	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
ओडिशा	बालेश्वर	12	2	3	1	1	5	0	0	0	0

	बेरहामपुर (गंजाम)	9	2	2	1	1	3	0	0	0	0
	भुवनेश्वर	21	3	4	2	2	10	1	0	0	0
	कटक	14	2	3	2	1	6	0	0	1	0
	संबलपुर	15	2	3	2	2	6	0	0	0	0
	उप जोड़	**71**	**11**	**15**	**8**	**7**	**30**	**1**	**0**	**1**	**0**
पांडिचेरी	त्रिची	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	उप जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
पंजाब	अमृतसर	29	8	0	6	3	12	0	0	0	1
	भटिंडा	7	2	0	1	1	3	0	0	1	0
	फाजिल्का	6	2	0	1	0	3	0	0	0	0
	होशियारपुर	31	9	0	7	3	12	1	0	0	0
	जालंधर	55	15	0	11	6	23	0	0	1	1
	कपूरथला	30	9	0	6	3	12	0	1	0	0
	लुधियाना	32	9	0	7	3	13	0	0	0	1
	मोगा	15	4	0	3	1	7	0	0	0	0
	पठानकोट	17	5	0	4	2	6	1	0	0	0
	पटियाला	10	3	0	2	1	4	0	1	0	0
	एसएएस नगर (मोहाली)	19	6	0	4	2	7	0	0	1	0
	उप जोड़	**251**	**72**	**0**	**52**	**25**	**102**	**2**	**2**	**3**	**3**
राजस्थान	अलवर	30	5	4	6	3	12	1	0	0	0
	भरतपुर	40	7	5	8	4	16	0	1	0	0
	बीकानेर	13	2	2	3	1	5	0	0	0	1
	हनुमानगढ़	7	1	0	1	0	5	0	0	0	0
	जयपुर - अजमेर	32	5	4	6	3	14	0	0	1	0
	जयपुर - सीकर	18	3	2	4	2	7	0	1	0	0
	जोधपुर	17	3	2	3	2	7	1	0	0	0
	कोटा	27	5	4	5	2	11	0	0	0	1
	श्रीगंगानगर	7	1	1	2	1	2	0	0	0	0
	उदयपुर	15	3	2	3	2	5	0	0	1	0
	उप जोड़	**206**	**35**	**26**	**41**	**20**	**84**	**2**	**2**	**2**	**2**
सिक्किम	न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी)	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	उप जोड़	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
तमिलनाडु	चेन्नई	29	6	0	8	3	12	0	0	0	1
	कोयंबटूर	13	2	0	3	1	7	0	1	0	0
	त्रिची	18	3	0	5	2	8	1	0	0	0
	उप जोड़	**60**	**11**	**0**	**16**	**6**	**27**	**1**	**1**	**0**	**1**
तेलंगाना	हैदराबाद	20	3	1	5	2	9	0	0	0	1
	सिकंदराबाद	14	2	1	4	1	6	0	0	0	0
	उप जोड़	**34**	**5**	**2**	**9**	**3**	**15**	**0**	**0**	**0**	**1**
त्रिपुरा	अगरतला	13	2	4	0	1	6	0	0	0	0

	उप जोड़	**13**	**2**	**4**	**0**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
	आगरा	32	7	0	9	3	13	0	0	0	1
	अलीगढ़	30	6	0	8	3	13	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	अयोध्या (फैजाबाद)	34	7	1	9	3	14	1	0	0	0
	बरेली	40	8	0	11	4	17	0	1	0	0
	बिजनौर	15	3	0	4	2	6	0	0	1	0
	बुलंदशहर	51	11	1	13	5	21	1	1	0	0
	इटावा	15	3	0	4	2	6	0	0	0	0
	गाज़ियाबाद	18	4	0	5	2	7	0	0	0	1
	गोरखपुर	35	7	1	9	4	14	0	1	0	0
	झांसी	26	5	0	7	3	11	1	0	0	0
	कानपुर शहर	9	2	0	2	1	4	0	0	0	0
	लखनऊ	35	7	1	9	3	15	0	1	0	1
	मऊ	14	3	0	4	1	6	1	0	0	0
	मेरठ	43	9	0	12	4	18	0	0	1	0
	मुरादाबाद	13	3	0	4	1	5	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	38	8	1	10	4	15	0	1	0	1
	नोएडा	30	6	0	8	3	13	1	0	1	0
	प्रयागराज (इलाहाबाद)	18	4	0	5	2	7	0	1	0	0
	रायबरेली	13	3	0	4	1	5	0	0	0	0
	सहारनपुर	25	5	0	7	2	11	0	0	1	0
	सीतापुर	20	4	0	5	2	9	0	0	0	1
	वाराणसी	7	2	0	2	1	2	0	0	1	0
	उप जोड़	**561**	**117**	**5**	**151**	**56**	**232**	**6**	**6**	**5**	**5**
उत्तराखंड	देहरादून	12	2	0	1	1	8	0	0	0	0
	हल्द्वानी	7	1	0	1	0	5	0	0	0	0
	हरिद्वार	17	3	1	2	2	9	0	1	0	0
	टिहरी	12	2	0	2	1	7	0	0	0	0
	उप जोड़	**48**	**8**	**1**	**6**	**4**	**29**	**0**	**1**	**0**	**0**
पश्चिम बंगाल	बर्धमान	14	3	1	3	2	5	0	1	0	0
	दुर्गापुर	6	1	0	1	1	3	0	0	0	0
	हुगली	16	4	1	3	2	6	0	0	1	0
	खड़गपुर	13	3	1	2	1	6	0	0	0	0
	कोलकाता - उत्तर	31	7	2	7	3	12	0	0	1	0
	कोलकाता - दक्षिण (बेहाला)	23	5	1	5	2	10	1	0	0	0
	कोलकाता - पश्चिम	23	5	1	5	2	10	0	1	0	0
	मालदा	12	3	0	3	1	5	0	0	0	0
	मुर्शिदाबाद	13	3	1	3	1	5	0	0	1	0
	नादिया	12	3	0	3	1	5	0	0	0	0

	न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी)	12	3	0	2	1	6	0	0	0	1
	उत्तर 24 परगना	8	2	0	2	1	3	0	0	0	0
	पश्चिम मेदिनीपुर	13	3	1	3	1	5	1	0	0	0
	पूर्ब मेदिनीपुर	7	2	0	2	1	2	0	0	0	0
	पुरुलिया	19	4	1	4	2	8	0	0	1	0
	दक्षिण 24 परगना	14	3	1	3	1	6	0	0	0	1
	उप जोड़	**236**	**54**	**11**	**51**	**23**	**97**	**2**	**2**	**4**	**2**
कुल		**2700**	**481**	**167**	**614**	**255**	**1183**	**25**	**25**	**24**	**25**

***** उपर्युक्त प्रशिक्षण सीटों की संख्या अनंतिम (अस्थायी) है तथा नियुक्ति (engagement) के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है।

संक्षिप्तीकरण : अनु.जा. - अनुसूचित जाति; अनु.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर - अनारक्षित श्रेणी; **पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति) श्रेणी** - वीआई - दृष्टि बाधित; एचआई - श्रवण बाधित; ओसी - आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग, आईडी - बौद्धिक दिव्यांगता। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

ख. राष्ट्रीयता/नागरिकता

अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए –

- **i.** भारत का नागरिक हो या
- **ii.** नेपाल का नागरिक या
- **iii.** भूटान का नागरिक या
- **iv.** भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से स्थायी रूप से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पलायन करके आया है,

बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii) और (iv) से संबंधित उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

ग. आयु :

दिनांक 30.06.2024 को न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 30.06.1996 से पहले तथा 30.06.2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए है। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है।

घ. ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.सं.	**श्रेणी**	**आयु में छूट**
(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	03 वर्ष
(iii)	"दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
(iv)	विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पति से कानूनी रूप से अलग	सामान्य/ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा में

	हुई महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है	35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष तथा एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक की छूट

नोट :

क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर दी जाती है, शेष श्रेणियों में से केवल एक के लिए, जिसके लिए आयु में छूट की अनुमति है, जैसा कि ऊपर घ (iii) से (iv) में उल्लेख किया गया है।

ख. आयु में छूट/अन्य लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति (engagement) प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां/प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह खंड होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर वर्ग (भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर) के अंतर्गत नही आता है। उम्मीदवार के पास समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को अनारक्षित के रूप में दर्शाना चाहिए।

ङ. परिभाषाएँ:

(ए) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति:

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत, बेंचमार्क दिव्यांगजन आरक्षण के पात्र हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में यथापरिभाषित तथा समय-समय पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित (दिव्यांगता) की श्रेणियों के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सभी उपर्युक्त पदों को चिह्नित किया गया है।

I. "ओसी" (ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड) श्रेणी: मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों ही रोग के कारण व्यक्ति की स्वयं तथा वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में व्यक्ति की असमर्थता, जिसमें कुष्ठ रोगमुक्त, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मांसपेशीय दुर्बलता और एसिड अटैक के शिकार लोग शामिल हैं। निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ अस्थि विकलांग व्यक्ति चलन नि: शक्तता के अंतर्गत आते हैं:-

ए. "कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन निम्न से पीड़ित है:

i. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस की कमी लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;
ii. प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें;
iii. अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उन्नत आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

बी. सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुँचने के कारण होता है, जो सामान्यतः जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

सी. "बौनापन" का अर्थ एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147

सेंटीमीटर) या उससे कम की वयस्क ऊंचाई ;

डी. "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होना, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु द्वारा लक्षित है;

ई. "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

II. "VI" **श्रेणी** (**दृष्टिबाधित**): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित हैं, सर्वोत्तम सुधार के बाद, आवेदन करने के पात्र हैं।

ए. दृष्टिहीनता:

i. दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या
ii. दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 से कम (स्नेलन) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या
iii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण में घटना।

बी. कम दृष्टि:

ए.दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नही या 20/60 से कम पर 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ; या
ऐ.दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री के कोण तक घटना।

III . "**HI**"**श्रेणी ("श्रवण बाधित"):**

(ए) **बधिर (डीफ)** इसका अर्थ है कि दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति।

(बी) **सुनने में मुश्किल:** इसका अर्थ है कि दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण कमी वाले व्यक्ति।

IV . " आईडी" (बौद्धिक विकलांगता) श्रेणी: केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की अक्षमता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं:

ए. बौद्धिक विकलांगता:

i. **"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" (एएसडी)** का अर्थ है एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति जो सामान्यतः जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।
ii. **"विशिष्ट सीखने की अक्षमता" (एसएलडी)** का अर्थ परिस्थितियों का एक विषम समूह है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।
iii. **"मानसिक बीमारी" (एमआई)** का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता

को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है जो, विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यता द्वारा लक्षित होती है।

बी. बहु विकलांगता: इसका तात्पर्य ऊपर उल्लिखित पैरा "बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति" के अंतर्गत खंड I, II, III और IV (ए) के बीच बहु अक्षमता से है।

नोट :

ए. केवल बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे।"बेंचमार्क अक्षमता वाले" का अर्थ है एक निर्दिष्ट दिव्यांगता के न्यूनतम 40% तक वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

बी. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित तथा बैंक द्वारा निर्धारित रिक्तियों के अनुसार होगा।

(बी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस):

(i) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ हेतु ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतनमान, कृषि, कारोबार, पेशे आदि से प्राप्त आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। साथ ही जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या धारित है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित किए जाने से बाहर रखा जाएगा:

- **i.** 5 एकड़ और उससे ऊपर की कृषि भूमि;
- **ii.** 1000 वर्ग फुट एवं उससे ऊपर का आवासीय फ़्लैट;
- **iii.** अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड;
- **iv.** अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

(ii) एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में धारित संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा।

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) इस प्रयोजन हेतु "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन एवं उसके जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां संभावित हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं|

एफ. शैक्षिक योग्यता (30.06.2024 तक)।

सरकारी निकायो/एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित किसी भी संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से

किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। परीक्षा के परिणाम दिनांक 30.06.2024 को या उससे पहले घोषित हो जाने चाहिए और बैंक द्वारा मांगे जाने पर उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान से जारी अंकतालिकाएँ और प्रोविजनल/डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रशिक्षण सीटों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रवीणता (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होनी चाहिए।

जी. शारीरिक/चिकित्सीय फिटनेस

प्रशिक्षुओं की नियुक्ति (engagement) बैंक की आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन होगी।

एच. प्रशिक्षण की अवधि:

प्रशिक्षण की कुल अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष होगी। एक वर्ष के प्रशिक्षण में 2 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण और 50 सप्ताह का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा।

आई. स्टाइपेंड/ लाभ:

नियोजित प्रशिक्षु एक वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए प्रति माह निम्नलिखित स्टाइपेंड के लिए पात्र हैं।

शाखा श्रेणी	**स्टाइपेंड (रु. में)**
ग्रामीण/अर्ध-शहरी	10,000
शहरी	12,000
मेट्रो	15,000

प्रशिक्षु अन्य किसी भत्ते/लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

जे. प्रशिक्षुओं की नियुक्ति (engagement) के लिए नियम एवं शर्तें:

- श्रम के संबंध में पीएफ, ईएसआई, बोनस जैसे किसी भी कानून का प्रावधान ऐसी प्रशिक्षुता पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगा
- प्रशिक्षुता पोर्टल द्वारा बैंक और अभ्यर्थी के बीच एक विशिष्ट अनुबंध कोड वाला अनुबंध तैयार किया जाएगा, जिस पर दोनों पक्षों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।
- यदि प्रशिक्षु मूल प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के शुरु होने की तिथि पर बैंक के प्रशिक्षण स्थल/बैंक शाखा में रिपोर्ट नहीं करता है, तो प्रशिक्षुता का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षुता के दौरान, यदि प्रशिक्षु किसी भी दुर्व्यवहार/अवज्ञा/असंतोषजनक प्रदर्शन/बैंक के हित को नुकसान पहुंचाने वाले किसी अन्य कार्य में शामिल पाया जाता है, तो बैंक द्वारा 07 दिनों का नोटिस देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर प्रशिक्षुता का अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- प्रशिक्षुओं को बैंक/शाखा/उस स्थान पर मिलने वाली छुट्टियों का अधिकार होगा। इसके अलावा, वे प्रशिक्षुता के प्रत्येक महीने के पूरा होने पर एक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। प्रशिक्षुओं के लिए किसी अन्य प्रकार की छुट्टी लागू नहीं होगी।

के. पंजीकरण/आवेदन प्रक्रिया :

विस्तृत जानकारी हेतु:-

1.आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक की वेबसाइट **www.pnbindia.in** पर जाएं और 'Recruitment' पर क्लिक करके " **Online application for engagement of Apprentices: 2024-25"** लिंक खोलें ।

या

आवेदकों को https://www.pnbindia.in/Recruitments.aspx पर जाना होगा।

<u>पंजीकरण हेतु: -</u>

2. सभी पात्र आवेदकों से अनुरोध है कि वे www.bfsissc.com के "**Career Opportunity**" सेक्शन में जाकर प्रशिक्षुता प्रवेश परीक्षा/टेस्ट के लिए स्वयं को पंजीकृत करें और नीचे दिए गए सेक्शन "एल" के अंतर्गत बताई गई श्रेणी के अनुसार लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद, आवेदक को दो अलग-अलग सरकारी प्रशिक्षुता पोर्टल/अप्रेंटिसशिप पोर्टलों पर अलग-अलग पंजीकरण करना होगा और अपना प्रोफ़ाइल पूरा करना होगा, यदि पहले नहीं किया है।

    i. एनएपीएस प्रशिक्षुता पोर्टल **www.apprenticeshipindia.gov.in** **(**प्रशिक्षु लॉगिन/पंजीकरण सेक्शन**)** और

    ii. एनएटीएस पोर्टल **www.nats.education.gov.in** <u>(छात्र पंजीकरण /लॉगिन सेक्शन - केवल उनके लिए लागू है जिन्होंने 1 अप्रैल 2020</u> को या उसके बाद स्नातक उत्तीर्ण किया है)।

3. पोर्टल पर नामांकन से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

क्र.सं.	**दस्तावेज़ का प्रकार**
1	आधार कार्ड
2	वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी (खाता सक्रिय करने और लॉगिन करने के लिए आवश्यक)
3	मोबाइल नंबर
4	पासपोर्ट आकार का फोटो फॉर्मेट/प्रारूप: JPEG, आकार: 1 MB से कम
5	योग्यता डिग्री / प्रोविजनल प्रमाणपत्र, फॉर्मेट: पीडीएफ, आकार: 1 MB से कम ।

4. सभी आवेदकों को, संबंधित प्रशिक्षुता पोर्टल एनएपीएस और/या एनएटीएस में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद, बीएफएसआई एसएससी से संचार ई-मेल प्राप्त होगा, जिसमें आपका एनएपीएस प्रशिक्षु कोड नंबर और/या एनएटीएस नामांकन संख्या मांगी जाएगी।

5. सभी आवेदकों को अपनी मूल व्यक्तिगत जानकारी**,** श्रेणी**,** स्क्राइब का नाम (पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के मामले में) उपलब्ध करानी होगी।

6. उम्मीदवारों के पास वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। इससे उन्हें ईमेल/एसएमएस द्वारा कॉल लेटर/सलाह/सूचना आदि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

एल. <u>शुल्क/सूचना प्रभार (अप्रतिदेय):</u>

अभ्यर्थी 30.06.2024 से 14.07.2024 तक केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपेक्षित शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है। आवेदन/परीक्षा शुल्क इस प्रकार है:

श्रेणी	**आवेदन/परीक्षा/सूचना शुल्क**
पीडब्ल्यूबीडी	रु. 400/ - + जीएसटी @ 18% = रु. 472/-
महिला/एससी/एसटी	रु. 600/-+जीएसटी @18% = रु.708/-
सामान्य/ओबीसी	रु. 800/-+जीएसटी@18% = रु.944/-

* एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है ।

एम. चयन प्रक्रिया :

प्रशिक्षुओं की नियुक्ति (engagement) के लिए चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:-

i. **लिखित ऑनलाइन परीक्षा (दिनांक 28.07.2024 को आयोजित होगी)** :

ऑनलाइन लिखित परीक्षा (बहु-वैकल्पिक) की संरचना निम्नानुसार होगी :-

क्र म.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि	परीक्षा का माध्यम
1.	सामान्य/ वित्तीय जागरूकता	25	25	**60 मिनट**	अंग्रेजी / हिंदी
2.	सामान्य अंग्रेजी	25	25		अंग्रेजी
3.	मात्रात्मक एवं तार्किक अभिक्षमता	25	25		अंग्रेजी / हिंदी
4.	कंप्यूटर ज्ञान	25	25		अंग्रेजी / हिंदी
	कुल	**100**	**100**		

- परीक्षा शुल्क का भुगतान करने वाले सभी आवेदकों को बीएफएसआई एसएससी की ओर से परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना प्रदान की जाएगी ।
- सभी आवेदकों को अपने स्वयं के कैमरा समर्थित/सक्षम डेस्कटॉप या लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्ट फोन का उपयोग करके दी गई तिथि और समय पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी।
- सभी आवेदकों को (इमेज कैप्चर करने के लिए) वही पहचान पत्र दिखाना होगा जो उन्होंने प्रशिक्षुता पोर्टल पर अपलोड किया है।
- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के अतिरिक्त, किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा देते समय अपने आस-पास किसी और को रहने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए दिशा-निर्देश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा दिए जाएंगे ।
- उम्मीदवारों को बैंक द्वारा निर्धारित कुल अंकों में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए, इसमें 5% छूट उपलब्ध है)। व्यक्तिगत विषय के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे।
- उम्मीदवारों का चयन आरक्षण नियमों के अधीन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होने पर (कट ऑफ पॉइंट पर समान अंक) तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा।
- **चयन के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिये जाएंगे।**

नोट: परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी 'सूचना पुस्तिका' में दी जाएगी, जिसे पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. **स्थानीय भाषा की परीक्षा:**

- किसी विशेष राज्य के प्रशिक्षण सीटों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य की निर्दिष्ट स्थानीय भाषाओं में से किसी एक में प्रवीण (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होना आवश्यक है।
- जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अन्य उम्मीदवारों के लिए, चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में स्थानीय भाषा के ज्ञान के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह तब आयोजित की जाएगी जब उम्मीदवार को बैंक द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उन्हें प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

iii. **चिकित्सा परीक्षण:**

चयनित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति (engagement) बैंक की आवश्यकता के अनुसार उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है।

अंतिम चयन निम्नलिखित के अधीन होगा:

ए) पद के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का स्त्यापन ।

बी) लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा की परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करना,जहां लागू हो, जैसाकि ऊपर बताया गया है ।

सी) चिकित्सा परीक्षण में योग्यता ।

एन. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई भी ऐसा विवरण न दें जो कि गलत, छेड़छाड़, मनगढ़ंत हो या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं।

ऑनलाइन परीक्षा के समय यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी पाया जाता है-:

ए. ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, या
बी. प्रतिरूपण करना या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना या
सी. परीक्षा (ओं) की सामग्री या उसमें किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी तरह से मौखिक या किसी भी उद्देश्य के लिए लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुन: प्रस्तुत करना, संचारित करना, भंडारण करना या उसकी सुविधा प्रदान करना। **,** या
डी. चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी तरह से अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त करना। **,** या
ई) अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना **,**

ऐसा उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

i . उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है।

ii. बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

iii. यदि वह पहले ही बैंक के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल हो चुका है तो उसे प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से बर्खास्त किया जा सकता है।

ओ. सामान्य जानकारी :

ए) कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त (engaged) उम्मीदवारों को पंजाब नैशनल बैंक के "कर्मचारी" नहीं माना जाएगा और वे बैंक के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

बी) जिन उम्मीदवारों ने पंजाब नैशनल बैंक में या किसी अन्य संगठन में प्रशिक्षुता पूर्ण कर ली है या कर रहे हैं, वे प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (संशोधित तिथि तक) के तहत प्रशिक्षण के लिए पात्र नही है ।

सी) जिन उम्मीदवारों ने एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त किया है या संबन्धित शैक्षिक योग्यता (अर्थात स्नातक) प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण पूरा/पूर्ण किया है वे प्रशिक्षुता के लिए पात्र नही होंगे ।

डी) किसी भी भूतपूर्व सैनिक/विकलांग भूतपूर्व सैनिक को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा तथा प्रशिक्षु नियुक्ति (engagement) में भूतपूर्व सैनिकों/विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

ई) किसी भी उम्मीदवार के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

एफ) बैंक का प्रशिक्षुता अवधि के दौरान और/या उसके पूरा होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को नियमित

रोजगार देने का कोई दायित्व नहीं होगा। प्रशिक्षुता अवधि पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को संबंधित कार्यक्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा।

जी) पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, चयन प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करना आदि से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सीटों को भरना पूरी तरह से उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर बैंक के विवेक पर निर्भर है और यदि इनमें से कुछ सीटें उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या या किसी अन्य कारण से नहीं भरी जाती हैं, तो नियुक्ति (engagement) के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।

एच) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदनों को "पात्र" नहीं माना जाएगा और उन्हें "अस्वीकृत" माना जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

आई) अंतिम ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद डेटा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है ।

जे) उम्मीदवारों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति (engagement) के लिए अपनी पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट होना चाहिए। परीक्षा के लिए प्रवेश, उम्मीदवारों की आयु/योग्यता/श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी) आदि के सत्यापन के अधीन और अनंतिम होगा।

के) एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। एक से अधिक आवेदनों के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन पर ही विचार किया जाएगा, तथा अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

एल) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।

एम) नियुक्ति (engagement) के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उल्लेखित हो कि पंजीकरण की अंतिम तिथि तक वे क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। 01.04.2024 से प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति (engagement) की तिथि तक की अवधि के दौरान जारी किया गया 'गैर-क्रीमी लेयर' खंड वाला ओबीसी प्रमाण पत्र, यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो नियुक्ति (engagement)/दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

एन) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैध होना चाहिए।

ओ) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सलाह, अधिसूचनाएं जैसे कॉल लेटर/सलाह/परामर्श आदि प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।

पी) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति (engagement) प्रक्रिया पूरी होने तक अपने आविर्भाव में परिवर्तन न करें । उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा सभी स्थानों जैसे कॉल लेटर आदि में तथा भविष्य में बैंक के साथ सभी पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए तथा उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर/परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

क्यू) इस विज्ञापन के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया से उत्पन्न और/या उससे संबंधित कोई भी विवाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

आर) किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता मानी जाएगी।

एस) बैंक प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए किसी भी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति या वहन नहीं करेगा।

टी) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट/नोटिस/निर्देशों के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट देखें। इस प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाएँ/अनुपूरक/शुद्धिपत्र/विवरण केवल **http://bfsissc.com** पर या समय-समय पर

www.pnbindia.co.in वेबसाइट पर 'Recruitment' अनुभाग के अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे । इस प्रक्रिया में चयनित/शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए उम्मीदवारों को कोई अलग से सूचना/संदेश नहीं भेजा जाएगा। बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित सभी अधिसूचना/संदेश को प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए सूचना के रूप में माना जाएगा।

पी. अस्वीकरण :

- बैंक किसी भी समय, यदि आवश्यक हो, बिना कोई अतिरिक्त सूचना दिए या कोई कारण बताए, नियुक्ति (engagement) प्रक्रिया को आंशिक/पूर्ण रूप से रद्द करने या प्रशिक्षण सीटों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- पंजाब नैशनल बैंक तकनीकी खराबी या पंजाब नैशनल बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर पाने वाले आवेदकों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- नियुक्ति (engagement) प्रक्रिया रद्द होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा ।
- बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या बैंक में पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर उम्मीदवारों के लिए भेजी गई कोई भी सूचना/संचार, सभी प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार को पर्याप्त पत्राचार सेवा मानी जाएगी।
- यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार किया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति (engagement) के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो बिना किसी सूचना के उसका प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकता है।
- इस नियुक्ति (engagement) प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

दिनांक:29.06.2024 **महाप्रबंधक (मानव संसाधन विभाग)**